UPAG010097542025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या—05, आगरा।

पीठासीन अधिकारी—विराट कुमार श्रीवास्तव (उच्चतर न्यायिक सेवा)—UP01728

दाण्डिक अपील संख्या—219/2025

गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मुन्ना लाल, निवासी सिमरिया, पोस्ट बीना, जिला इटावा, उ0प्र0 उम्र करीब 37 वर्ष।

..................अपीलार्थी

बनाम

1— उ0प्र0 राज्य द्वारा शासकीय अधिवक्ता, आगरा।

2— चन्द्रवीर सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, निवासी नगर पालिका टंकी के पास, बीच पुरबियान, एत्मादपुर, जिला आगरा।

.....................विपक्षीगण

परिवाद संख्या—2332/2020
धारा—138 परक्राम्य लिखत अधिनियम
थाना—एत्मादपुर, जिला आगरा।

निर्णय

यह दाण्डिक अपील संख्या—219/2025 अपीलार्थी/दोषसिद्ध गजेन्द्र सिंह द्वारा योग्य विचारण न्यायालय, विशेष न्यायालय, धारा—138 एन.आई.एक्ट, आगरा द्वारा परिवाद संख्या—2332/2020 चन्द्रवीर सिंह बनाम गजेन्द्र सिंह अन्तर्गत धारा—138 परक्राम्य लिखत अधिनियम थाना एत्मादपुर, जिला आगरा के प्रकरण में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 25.07.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त निर्णय व दण्डादेश द्वारा योग्य विचारण न्यायालय ने दोषसिद्ध/अपीलार्थी गजेन्द्र सिंह को उपरोक्त धारा के अन्तर्गत 1,74,000/—रूपये के अर्थदण्ड तथा छः माह के साधारण कारावास से दण्डित किया है।

अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा किए गए कथन मुख्यतः इस प्रकार हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश गैर कानूनी, असंगत, असंवैधानिक है तथा न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध पारित किया गया है। परिवादी अपना पक्ष पूर्णतः सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है तथा प्रकरण में मात्र परिवादी की ही साक्ष्य हुई है। परिवादी द्वारा सम्बन्धित अभिलेख विधिनुसार साबित नहीं किये गये हैं तथा विद्वान

विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की ओर भी कोई स्पष्ट ध्यान नहीं दिया गया है। मुवलिग 1,50,000/–रूपये का कोई स्त्रोत नहीं दर्शाया गया है और इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य भी नही ली गयी है। परिवादी द्वारा एकमुश्त धनराशि नकद उधार देना अपीलार्थी के रिश्तेदारों विनय बाबू, रितु व अनिल के समक्ष देना बताया गया है, परन्तु उक्त रिश्तेदारों में सिर्फ अपने पक्षधर अनिल के बयान अंकित कराये गये हैं, जबकि विनय बाबू व श्रीमती रितु का कोई बयान अंकित नही कराया गया है। उपरोक्त परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि परिवादी द्वारा उपरोक्त धनराशि कभी भी अपीलार्थी को उधार नही दी गयी। परिवादी द्वारा जो बयान योग्य विचारण न्यायालय में दिये गये हैं और उसमें जो प्रतिपरीक्षा दी गयी है, उससे स्पष्ट है कि परिवादी की साक्ष्य विश्वसनीय नही है। अपीलार्थी द्वारा जो साक्ष्य दी गयी है, उस पर अवर न्यायालय द्वारा सही तरीके से विचार नही किया गया है और साक्ष्य को गलत तरीके से नकारा गया है, जबकि साक्ष्य यह दर्शाता है कि रूपया उधार नही लिया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सफाई साक्ष्य पर विचार नही किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई मुकदमा इस धारा में नहीं बनता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो सजा दी गयी है वह काफी ज्यादा है और विधिनुसार नही है। उपरोक्त आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय अपास्त कर अपील को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा अपील का मौखिक रूप से विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश प्रकरण में प्रस्तुत किये गये मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर सम्यक कारण दर्शित करते हुए गुण–दोष पर पारित किया गया है। उपरोक्त निर्णय पूर्णतः सही है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है। अपील निराधार है तथा निरस्त किए जाने योग्य है।

प्रत्यर्थी संख्या–2 की ओर से अपील के विरूद्ध 13ब आपत्ति प्रस्तुत करते हुये अपीलार्थी द्वारा अपील में किये गये कथनों को मनगढन्त, बनावटी होने का अभिकथन करते हुये अस्वीकार किया गया है तथा सारतः कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या–2 अपना पक्ष रखने में पूर्णतः सफल रहा है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मूल पत्रावली पर मौजूद हैं, उसके द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों को विधिनुरूप साबित किया गया है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 02.12.2024 के प्रस्तर–2 में प्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या–2 व 5 से 1,50,000/–रूपया अनिल के सामने

उधार लेना स्वीकार किया है। इसलिये अन्य गवाहान विनय बाबू व श्रीमती रितु के बयानों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिवाद के विचारण के दौरान परिवादी व अपीलार्थी द्वारा राजीनामा तथा शपथ पत्र दिनांक 02.12.2024 को विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें अपीलार्थी द्वारा परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या–2 से 1,50,000/–रूपया उधार लेना दर्शाया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा अपने बचाव कथन में भी विद्वान विचारण न्यायालय में पत्रावली पर मौजूद 1,50,000/–रूपया उधार लेने के सम्बन्ध में मौजूद अनुबन्ध पत्र दिनांक 15.02.2018 स्वीकार किया है। प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा दिये गये बयान विश्वसनीय है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली पर उपलब्ध सफाई साक्ष्य के बयानों का अवलोकन एवं धारा–138 एन.आई.एक्ट का पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये विधि सम्मत निर्णय दिनांक 25.07.2025 पारित कर अपीलार्थी को दण्डित किया गया है। अतिरिक्त कथन में प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा कथन किया गया है कि अपीलार्थी ने उससे 1,50,000/–रूपया उधार लिये, जिनको वापस करने के लिये विद्वान विचारण न्यायालय में राजीनामा मय शपथ पत्र दिनांक 02.12.2025 प्रस्तुत किया, लेकिन इसके बावजूद आज तक उधार ली गयी धनराशि 1,50,000/–रूपया को वापस नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा 1,50,000/–रूपया उधार लेते समय अनुबन्ध पत्र दिनांक 15.02.2018 को तहरीर किया गया, जो विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है, जिसमें अपीलार्थी ने अनुबन्ध पत्र पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। अपीलार्थी द्वारा 1,50,000/–रूपया की धनराशि चेक के माध्यम से वापस न करने पर परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या–2 को ब्याज के रूप में काफी आर्थिक हानि हुई है। उक्त आधार पर अपील को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अपीलार्थी की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या–2332/2020 चन्द्रवीर सिंह बनाम गजेन्द्र सिंह अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम थाना एत्मादपुर, जिला आगरा के प्रकरण में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 25.07.2025 की सत्यप्रति कागज संख्या–5ब/1 ता 5ब/7 तथा अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु जमा करायी गयी धनराशि 34,800/–रूपये की रसीद की छायाप्रति 10ब प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सविस्तार सुनी गई तथा पत्रावली एवं विद्वान विचारण न्यायालय से आहूत पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थी/दोष सिद्ध के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधार को इंगित करते हुये अतिरिक्त रूप से मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध त्रुटियों पर विचार नहीं किया गया है। प्रकरण में परिवादी की ओर से प्रस्तुत की गयी चेक की धनराशि से सम्बन्धित मांग नोटिस में चेक

की धनराशि के अलावा अतिरिक्त रूप से एक अन्य ऋण को भी जोड़कर धनराशि की मांग की गयी है। इस प्रकार उपरोक्त नोटिस विधिक नही है एवं दूषित है। प्रकरण में चेक अनादरित होने की तथाकथित तिथि 02.03.2020 है, नोटिस प्रेषित करने की तिथि 03.03.2020 है, तथा परिवाद दिनांक 03.07.2020 को प्रस्तुत किया गया है, जो विलम्बित है। परिवादी ने उपरोक्त विलम्ब को क्षमा किये जाने की कोई याचना विचारण न्यायालय से नही की है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में संज्ञान लिया जाना त्रुटिपूर्ण है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत चेक किसी विधिक दायित्व के निर्वहन अथवा ऋण के उन्मोचन में परिवादी को नही दिया गया था। परिवादी ने अपीलार्थी को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिये थे तथा सिक्योरिटी में चेक लिया था। नौकरी न लगवाने पर जब अपीलार्थी ने धनराशि वापस मांगी तो परिवादी/प्रत्यर्थी ने सिक्योरिटी में दिये गये चेक का दुरूपयोग कर परिवाद प्रस्तुत कर दिया। परिवादी द्वारा अपीलार्थी/दोषसिद्ध को धनराशि दिये जाने के सापेक्ष कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है तथा उन व्यक्तियों को भी परीक्षित नही कराया गया है, जिनके समक्ष धनराशि दिये जाने का कथन परिवादी द्वारा किया गया है। प्रकरण में नोटिस अपीलार्थी/दोषसिद्ध को कभी प्राप्त नही हुआ है। अतः प्रकरण में धारा—138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अवयव स्थापित नही होते हैं। योग्य विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों का कोई उचित विश्लेषण नही किया गया है। उक्त आधार पर अपीलार्थी को अपील स्वीकार करते हुये दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है तथा योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रकरण के परिवादी तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से सारतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपील में लिया गया आधार समाधानप्रद नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्य का विस्तारपूर्वक सम्यक विश्लेषण किया गया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य तथा साक्ष्य के अनुकूल ही निर्णय पारित किया गया है, जो उचित है एवं उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। प्रकरण के परिवादी द्वारा अपने मामले को पर्याप्त साक्ष्य द्वारा स्थापित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपनी प्रतिपरीक्षा में विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी से रूपया उधार लेने तथा उपरोक्त रूपया वापस करने योग्य होने के आशय का स्पष्ट कथन किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के उपरोक्त कथन तथा आधार काल्पनिक हैं। उक्त आधार पर प्रकरण में प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

उभय पक्ष के तर्क व प्रतितर्क का मूल्यांकन पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्य तथा अनुप्रयोज्य विधि व्यवस्था के आलोक में किया जाना समीचीन होगा।

प्रश्नगत प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या–2/परिवादी चन्द्रवीर सिंह की ओर से अपीलार्थी/दोषसिद्ध गजेन्द्र सिंह के विरूद्ध विचारण न्यायालय में दिनांक 03.07.2020 को परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा–138 लिखत परक्राम्य अधिनियम प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त परिवाद में परिवादी द्वारा सारतः यह कथन किया गया कि परिवादी व विपक्षी के बहनोई विनय बाबू के मध्य आपस में मित्रता थी। विपक्षी अपने बहनोई विनय बाबू, बहन रितु तथा बुआ के पुत्र अनिल को लेकर उसके घर दिनांक 15.02.2018 को आये और वाहन खरीदने के लिये परिवादी से 1,50,000/–रूपये उधार मांगे तथा फरवरी 2020 तक वापस कर देने को कहा। परिवादी ने अपने मित्र विनय बाबू, उनकी पत्नी श्रीमती रितु व अनिल के सामने विपक्षी को 1,50,000/–रूपया उधार नगद दे दिया। विपक्षी ने रूपया उधार लेते समय उसी दिन एक चेक संख्या–000004 अंकन 1,50,000/–रूपया दिनांकित 15.02.2018 परिवादी के नाम से भरकर बैंक ऑफ बडोदा, शाखा सैदवारा, इटावा का हस्ताक्षर कर दिया। परिवादी से विपक्षी ने पुनः आवश्यकता होने पर 8,000/–रूपये की मांग की, तब परिवादी ने दिनांक 28.11.2018 को अपने खाता संख्या–27240100028351 शाखा ऑफ बडोदा, सैदवारा, इटावा में ट्रान्सफर किये। इस प्रकार परिवादी ने कुल 1,58,000/–रूपया दिया है। परिवादी ने विपक्षी के कहे अनुसार दिये गये चेक को दिनांक 20.02.2020 को पंजाब नेशनल बैंक शाखा सुरैरा, एत्मादपुर, आगरा के खाते में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया तो बैंक द्वारा उक्त चेक को बिना भुगतान के इस टिप्पणी के साथ परिवादी को दिनांक 02.03.2020 को वापस कर दिया कि चेकदाता के खाते में चेक भुगतान हेतु पर्याप्त धनराशि नही है। परिवादी ने विपक्षी को फोन से चेक बाउन्स होने की सूचना देते हुये नगद भुगतान करने को कहा तो विपक्षी ने धनराशि देने से मना कर दिया, तब परिवादी ने विपक्षी को नोटिस दिनांक 03.03.2020 पंजीकृत डाक से भेजा, लेकिन विपक्षी ने उसका कोई जवाब नही दिया और ना ही धनराशि का भुगतान किया।

परिवादी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में अपीलार्थी/दोषसिद्ध गजेन्द्र सिंह द्वारा निर्गत 1,50,000/– रूपये का चेक संख्या–000004 दिनांकित 15.02.2020, उक्त चेक को बैंक में जमा कराने की रसीद, बैंक मीमो, गजेन्द्र सिंह को प्रेषित चेक की धनराशि की मांग करते हुये प्रेषित नोटिस की प्रति, डाक रसीद, व 8,000/–रूपये विपक्षी के खाते में स्थानान्तरित किये जाने की रसीद की छायाप्रतियां तथा तहरीर अनुबन्ध दिनांकित 15.12.2018 प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 25.03.2021 के माध्यम से संज्ञान लेते हुए अभियुक्त गजेन्द्र सिंह के विरूद्ध समन जारी करते हुए उसे विचारण हेतु आहूत किया गया। अभियुक्त ने न्यायालय में उपस्थित आकर अपनी जमानत कराई। अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 251 द0प्र0सं0

दिनांक 16.11.2022 को लेखबद्ध किया गया जिसमें उसने चेक को अपने खाते का होने तथा उस पर अपने हस्ताक्षर होने, चेक को विधिक दायित्व के निर्वहन में न देने, चेक के अनादरण के सम्बन्ध में कुछ नही कहने, नोटिस प्राप्त न होने, मुकदमा झूठा चलने का कथन किया है। तदोपरान्त प्रकरण में द.प्र.सं. की धारा–254 के अन्तर्गत परिवादी चन्द्रवीर सिंह ने स्वयं को पीडब्लू.–1, के रूप में परीक्षित कराया है। तत्पश्चात योग्य विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता 17.11.2023 को लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्त ने नौकरी लगवाने के नाम पर परिवादी को छः लाख रूपये व प्रश्नगत ब्लैंक चेक देने, जिसके सम्बन्ध में परिवादी के विरूद्ध इटावा न्यायालय में 156(3) द.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने, परिवादी द्वारा न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत करने तथा राजीनामा के आधार पर वाद समाप्त कराने, परिवादी द्वारा गलत बयान देने, मुकदमा झूठा चलने, सफाई में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया गया। अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य में स्वयं चन्द्रवीर सिंह डी.डब्लू. –1, मुन्ना लाल डी.डब्लू.–2, अनिल कुमार डी.डब्लू.–3 के साक्ष्य शपथ पत्र दाखिल कर परीक्षित कराया गया है तथा सूची सबूत कागज संख्या–14ब के माध्यम से जनपद इटावा न्यायालय में प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–56/2023 अन्तर्गत धारा–156(3) द.प्र.सं. की सत्यप्रति, उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07. 07.2023 की सत्यप्रति तथा परिवादी के खाते में जमा कराये गये रूपयों की तीन रसीदें प्रस्तुत की गयी हैं। योग्य विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी व अभियुक्त की बहस सुनने के उपरान्त दिनांक 25.07.2025 को प्रश्नगत निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी/दोषसिद्ध गजेन्द्र सिंह को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया गया है।

प्रकरण में योग्य विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध गजेन्द्र सिंह के सापेक्ष निम्नलिखित दण्डादेश पारित किया गया है–

''अभियुक्त गजेन्द्र सिंह को परिवाद संख्या–2332/2020 चन्द्रवीर सिंह बनाम गजेन्द्र सिंह, अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, थाना एत्मादपुर, जिला आगरा के अपराध में दोषी पाते हुये चेक की धनराशि मुवलिग 1,50,000/–रूपये (एक लाख पचास हजार रूपये) एवं इस पर चार प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लगभग चार वर्ष तक परिवाद के चलने से मुवलिग 24,000/–रूपये ब्याज निर्धारित कर, चेक की धनराशि मुवलिग 1,50,000+24,000 रूपये ब्याज जोड़ते हुये कुल मिलाकर 1,74,000/–रूपये (एक लाख चौहत्तर हजार रूपये) निर्धारित होती है, के अर्थदण्ड और छः माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

परिवादी को आर. विजयन बनाम बेबी व अन्य, (2012) 1 एस.सी., केस 260 में

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अर्थदण्ड धनराशि में से क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। तदनुसार उपरोक्त अर्थदण्ड में से मुवलिग 1,64,000/–रूपये बतौर क्षतिपूर्ति परिवादी को अदा किया जाएगा तथा शेष धनराशि 10,000/–रूपये राज्य सरकार के खाते में जब्त की जायेगी। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर यह धनराशि अभियुक्त से वसूल की जावेगी।''

उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/दोष सिद्ध की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

यह विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्त है कि दाण्डिक प्रकरण में अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्ति युक्त सन्देह से परे सिद्ध करना होता है। इस प्रकार प्रकरण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 का अपराध गठित करने वाले सभी अवयवों को युक्ति युक्त सन्देह से परे स्थापित करना अपेक्षित है।

धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अनुसार जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिये किसी बैंककार के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिये लिखा गया कोई चेक बैंक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चेक का आदरण करने के लिये अपर्याप्त है या वह उस रकम से अधिक है, जिसका बैंक के साथ किए गए करार द्वारा उस खाते में से संदाय करने का ठहराव किया गया है, वहाँ ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है और वह, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो चेक की रकम का दुगना तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा :

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक –

क– वह चेक उसके लिखे जाने की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर या उसकी विधिमान्यता की अवधि के भीतर जो भी पूर्वतर हो, बैंक को प्रस्तुत न किया गया होः

ख– चेक का पाने वाला या धारक, सम्यक् अनुक्रम में चेक के लेखीवाल को असंदत्त चेक के लौटाए जाने की बाबत बैंक से उसे सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, लिखित रूप से सूचना देकर उक्त धनराशि की संदाय के लिये मांग नहीं करताः और

ग– ऐसे चेक का लेखीवाल, चेक के पाने वाले को या धारक को उक्त सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर उक्त धनराशि का संदाय सम्यक् अनुक्रम में करने में असफल रहता है।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिये, ''ऋण या अन्य दायित्व'' से विधितः प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व अभिप्रेत हैं।

इस प्रकार उपरोक्त धारा के अपराध के गठन हेतु यह आवश्यक है कि चेक जारीकर्ता द्वारा किसी विधितः प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व के उन्मोचन के लिये अपने खाते के सापेक्ष अन्य व्यक्ति को चेक जारी की गयी हो, जो चेक प्राप्तकर्ता/धारक द्वारा चेक में नियत की गयी तिथि से छः माह के भीतर अथवा उसकी विधिमान्य अवधि के भीतर बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर अनाद्रित हो गयी हो तथा ऐसे अनादरण की सूचना के 30 दिन के भीतर लिखित रूप से चेक में वर्णित धनराशि की मांग प्राप्तकर्ता द्वारा चेक जारीकर्ता से नोटिस के माध्यम से की गयी हो तथा चेक जारीकर्ता नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर ऐसी धनराशि का भुगतान करने में विफल रहा हो। इस प्रकार धारा 138 के उपरोक्त सभी अवयव एक साथ विद्यमान हों तो प्रकरण में उपरोक्त धारा के अन्तर्गत अपराध का गठन होता है।

इसी अनुक्रम में उल्लेखनीय है कि धारा 139 परकाम्य लिखत अधिनियम के अनुसार जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो, यह उपधारणा की जाएगी कि चेक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णत : या भागतः उन्मोचन के लिये प्राप्त किया है। उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि धारा 138 के अपराध के गठन के लिये विधितः प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन में जारी चेक सम्बन्धी अवयव के सापेक्ष धारा 139 के अनुक्रम में उपधारणा की जाएगी तथा उक्त अवयव को स्थापित करने हेतु परिवादी/अभियोजन को साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, तथापि यह भी विशेषतः उल्लेखनीय है कि उपरोक्त उपधारणा उसके प्रतिकूल किसी तथ्य के स्थापित होने पर खण्डित हो जाएगी।

इस प्रक्रम पर यह उल्लेखनीय है कि परिवादी के अनुसार दोषसिद्ध/अपीलार्थी ने अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता हेतु परिवादी से 1,58,000/–रूपये की धनराशि उधार ली थी। अपीलार्थी/दोषसिद्ध ने परिवादी को भुगतान हेतु 1,50,000/–रूपये का उपरोक्त चेक दिया। उपरोक्त चेक भुगतान हेतु लगाये जाने पर अनाद्रित हो गया। इस सम्बन्ध में प्रेषित नोटिस के अनुक्रम में भी कोई भुगतान दोषसिद्ध द्वारा परिवादी को नहीं किया गया।

परिवादी द्वारा उपरोक्त तथ्य के सापेक्ष अपना साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या–7अ पी.डब्लू.–1 के रूप में प्रस्तुत किया है। परिवादी द्वारा अपने साक्ष्य से उपरोक्त तथ्यों का विनिर्दिष्ट रूप से समर्थन किया गया है तथा प्रकरण में प्रस्तुत किये गये चेक, बैंक मीमो, विधिक नोटिस, डाक रसीद आदि का उल्लेख करते हुये अपने कथानक को समर्थित किया गया है। परिवादी साक्षी चन्द्रवीर सिंह पी.डब्लू.–1 से

अभियुक्त की ओर से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है। उपरोक्त प्रतिपरीक्षा में परिवाद पत्र के कथानक के प्रतिकूल कोई तथ्य उद्‌घाटित नहीं हुआ है। योग्य विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय में उपरोक्त साक्ष्य की विस्तृत विवेचना की गयी है, जिसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नही है।

अपीलार्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध त्रुटियों पर विचार नहीं किया गया है। प्रकरण में परिवादी की ओर से प्रस्तुत की गयी चेक की धनराशि से सम्बन्धित मांग नोटिस में चेक की धनराशि के अलावा अतिरिक्त रूप से एक अन्य ऋण को भी जोड़कर धनराशि की मांग की गयी है। इस प्रकार उपरोक्त नोटिस विधिक नही है एवं दूषित है।

उपरोक्त तर्क के सन्दर्भ में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा अपीलार्थी/दोषसिद्ध को प्रेषित की गयी नोटिस दिनांकित 03.03.2020 में परिवाद पत्र के कथानक के समान कथन करते हुये कुल 1,58,000/—रूपये की धनराशि की मांग की गयी है। यह विशेषतया उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा उपरोक्त नोटिस में चेक की धनराशि मुवलिग 1,50,000/—रूपये तथा अन्य समय पर दी गयी धनराशि मुवलिग 8,000/—रूपये का विनिर्दिष्ट रूप से पृथक पृथक उल्लेख किया गया है तथा चेक में अंकित धनराशि व अपीलार्थी के खाते में स्थानान्तरित की गयी 8,000/—रूपये की धनराशि के भुगतान हेतु 15 दिवस की नोटिस दी गयी है। धारा—138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अनुसार चेक के अनादरण की सूचना के 30 दिन के भीतर लिखित रूप से चेक में वर्णित धनराशि की मांग प्राप्तकर्ता द्वारा चेक जारीकर्ता से नोटिस के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा चेक में वर्णित धनराशि की मांग अपीलार्थी/दोषसिद्ध से किये जाने का उल्लेख उपरोक्त नोटिस में है। इस प्रकार धारा—138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में वर्णित मांग नोटिस की अपेक्षा के अनुसार परिवादी द्वारा उपरोक्त नोटिस दिनांकित 03.03.2020 में उल्लेख कर दिया गया है। यद्यपि कि उपरोक्त नोटिस में ही 8,000/—रूपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग भी परिवादी द्वारा किये जाने का उल्लेख है, तथापि उपरोक्त अतिरिक्त धनराशि की मांग धारा—138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में वर्णित नोटिस सम्बन्धी अवयव की विद्यमानता/स्थापना को प्रतिकूलतः प्रभावित नही करती है। उपरोक्त आधार पर इस न्यायालय के मत में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क सन्धार्य नही है।

अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में चेक अनादरित होने की तथाकथित तिथि 02.03.2020 है, नोटिस प्रेषित करने की तिथि 03.03.2020 है, तथा परिवाद दिनांक 03.07.2020 को प्रस्तुत किया गया है, जो विलम्बित

है। परिवादी ने उपरोक्त विलम्ब को क्षमा किये जाने की कोई याचना विचारण न्यायालय से नही की है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में संज्ञान लिया जाना त्रुटिपूर्ण है।

उपरोक्त तर्क के सन्दर्भ में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में परिवाद योग्य विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.07.2020 को प्रस्तुत किया गया है। परिवाद कथानक तथा तत्सम्बन्धी बैंक मीमो के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रश्नगत चैक के अनादरण की तिथि दिनांक 02.03.2020 है। इस प्रकार चेक के अनादरण की सूचना से 30 दिन की अवधि में चेक से सम्बन्धित धनराशि की मांग नोटिस प्रेषित किया जाना अनुमन्य था तथा उपरोक्त चेक प्राप्ति के 15 दिवस तक भुगतान न करने की दशा में वाद हेतुक उत्पन्न होने पर अग्रेतर एक माह तक परिवाद सामान्य रूप से प्रस्तुत किया जा सकता था। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में दिनांक 03.07.2020 को परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा प्रकरण में विलम्ब माफी सम्बन्धी कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही है और ना ही तत्सम्बन्ध में योग्य विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया गया है। इस प्रक्रम पर माननीय उच्चतम न्यायालय के स्वप्रेरित रिट याचिका (सी) संख्या–03/20 के मामले में पारित आदेश दिनांकित–10.01.2022 का उल्लेख समीचीन होगा, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने उपरोक्त आदेश के प्रस्तर–5 के उप प्रस्तर–3 तथा 4 में यह निर्देश दिया है कि जिन मामलो में दिनांक–15.03.2020 से दिनांक–28.02.2022 तक परिसीमा की अवधि समाप्त हो रही हो, वहॉ पक्षकारों को दिनांक–01.03.2022 से 90 दिनों की अतिरिक्त परिसीमा अवधि प्रदान की जायेगी तथा जहां वास्तविक परिसीमा अवधि शेष हो, वहां 90 दिनों अथवा शेष परिसीमा अवधि जो भी अधिक हो, प्रदान किया जायेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि धारा–138 प्रक्रम लिखित अधिनियम के परन्तुक बी तथा सी द्वारा अपेक्षित अवधि यदि दिनांक–15.03.2020 से दिनांक–28.02.2022 के मध्य पड़ती हो तो ऐसी अवधि की गणना परिसीमा काल के लिये नहीं की जायेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त विधि व्यवस्था में पारित निर्देश के सादर आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण का परिवाद विलम्बित नहीं रहा है। उक्त आधार पर इस न्यायालय के मत में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क सन्धार्य नही है।

अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत चेक किसी विधिक दायित्व के निर्वहन अथवा ऋण के उन्मोचन में परिवादी को नही दिया गया था। परिवादी ने अपीलार्थी को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिये थे तथा सिक्योरिटी में चेक लिया था। नौकरी न लगवाने पर जब अपीलार्थी ने धनराशि

वापस मांगी तो परिवादी/प्रत्यर्थी ने सिक्योरिटी में दिये गये चेक का दुरूपयोग कर परिवाद प्रस्तुत कर दिया। परिवादी द्वारा अपीलार्थी/दोषसिद्ध को धनराशि दिये जाने के सापेक्ष कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

उपरोक्त तर्क के सन्दर्भ में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा प्रकरण में परिवाद पत्र के कथानक के सन्दर्भ में स्वयं को पी.डब्लू.–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है। अपीलार्थी/दोषसिद्ध द्वारा अपने कथन के सन्दर्भ में स्वयं को डी.डब्लू. –1, मुन्नालाल को डी.डब्लू.–2 तथा अनिल कुमार को डी.डब्लू.–3 के रूप में परीक्षित कराया है। उपरोक्त प्रतिरक्षा साक्षीगण ने अपनी मुख्य परीक्षा के साक्ष्य शपथ पत्र में इस आशय का कथन किया है कि परिवादी/प्रत्यर्थी ने अपलार्थी/दोषसिद्ध से सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिये तथा एक खाली चेक भी ले लिया। नौकरी न लगने पर पैसे वापस मांगने पर परिवादी ने पैसे नही दिये। इस आशय का भी कथन किया गया है कि परिवादी ने अन्य व्यक्तियों से भी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की है तथा उसके विरूद्ध दाण्डिक वाद प्रचलित हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह पुनः उल्लेखनीय है कि धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अनुसार धारा 138 के अपराध के गठन के लिये विधितः प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन में जारी चेक सम्बन्धी अवयव के सापेक्ष धारा 139 के अनुक्रम में उपधारणा की जाएगी तथा उक्त अवयव को स्थापित करने हेतु परिवादी/अभियोजन को साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, तथापि यह भी विशेषतः उल्लेखनीय है कि उपरोक्त उपधारणा उसके प्रतिकूल किसी तथ्य के स्थापित होने पर खण्डित हो जाएगी।

इस प्रक्रम पर स्वयं अपीलार्थी/दोषसिद्ध के प्रतिरक्षा साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा के सुसंगत अंश का उल्लेख समीचीन है। अपीलार्थी/दोषसिद्ध गजेन्द्र सिंह डी.डब्लू.–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ संख्या–5 पर इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया है कि पत्रावली पर दाखिल चेक उसके खाते का है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अपीलार्थी/साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा की प्रारम्भिक पंक्तियों में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पत्रावली पर दाखिल अनुबन्ध पत्र दिनांक 15.02.2018 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उपरोक्त अनुबन्ध पत्र कागज संख्या–8ब/2 के रूप में पत्रावली में संलग्न है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी से 1,50,000/–रूपये अपनी आवश्यकता हेतु लिये जाने व उसे वापस करने हेतु चेक संख्या–000004 दिनांकित 15.02.2020 भरकर प्रत्यर्थी को प्रदान करने का स्पष्ट उल्लेख है। उपरोक्त प्रपत्र पर अपीलार्थी/दोषसिद्ध ने अपने हस्ताक्षर होने के तथ्य को स्वीकार किया है तथा उपरोक्त प्रपत्र के अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल कथन नही किया है। इस प्रकार उपरोक्त प्रपत्र

की अन्तर्वस्तु से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी/दोषसिद्ध द्वारा परिवादी से धनराशि उधार ली गयी तथा उसके भुगतान हेतु प्रश्नगत चेक परिवादी के पक्ष में निर्गत किया गया। इसी अनुक्रम में यह भी उल्लेखनीय होगा कि इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा के अन्तिम पृष्ठ पर इस आशय का भी कथन किया गया है कि राजीनामा रूपये देने चन्द्रवीर को इस मुकदमे के बावत तैयार किया था, वह शपथ पत्र के साथ पत्रावली पर मौजूद है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र वास्ते राजीनामा व तत्सम्बन्धी शपथ पत्र कागज संख्या–14ब/15 ता 14ब/16 के रूप में पत्रावली में संलग्न है, जिसमें इस आशय का उल्लेख है कि अपीलार्थी/दोष सिद्ध गजेन्द्र सिंह ने परिवादी से 1,50,000/–रूपये उधार लिया था तथा उभय पक्ष के मध्य समझौता हो गया एवं अपीलार्थी चेक संख्या–000004 में अंकित धनराशि 1,50,000/–रूपये को न्यायालय के समक्ष वापस कर रहा है। यह भी विशेषतया उल्लेखनीय होगा कि उपरोक्त राजीनामा न्यायालय द्वारा तसदीक नही किया गया है तथा प्रकरण समझौते के आधार पर निस्तारित नही हो सका है। उपरोक्त राजीनामा एवं तत्सम्बन्धी शपथ पत्र दिनांकित 02.12.2024 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी/दोषसिद्ध द्वारा परिवादी से धनराशि उधार ली गयी तथा उसके भुगतान हेतु प्रश्नगत चेक परिवादी के पक्ष में निर्गत किया गया। उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी/दोषसिद्ध द्वारा अपने मामले के समर्थन में व परिवाद के कथानक के प्रतिकूल तथ्यों के सापेक्ष परीक्षित कराये गये साक्षीगण का बयान विश्वसनीय नही है। इस प्रकार स्वयं दोषसिद्ध/अपीलार्थी की स्वीकारोक्ति से प्रश्नगत चेक विधिक दायित्व अथवा ऋण के उन्मोचन में जारी किये जाने की वैवश्यक उपधारणा अन्तर्गत धारा–139 परक्राम्य लिखत अधिनियम पूर्णतः स्थापित होती है तथा उसके खण्डन हेतु अपालार्थी/ दोषसिद्ध द्वारा कोई तात्विक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में इस न्यायालय के मत में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया उपरोक्त आधार सन्धार्य नही है।

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि परिवादी द्वारा स्वयं के अलावा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है, जबकि परिवादी यह स्वीकार करता है कि धनराशि देते समय कई व्यक्ति उपस्थित थे।

उपरोक्त आधार के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **एम0 सर्वना उर्फ के0डी0 सर्वना बनाम कनार्टक राज्य (2012) 6 एस0सी0आर0 592** का उल्लेख समीचीन होगा, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यह विधि द्वारा सुस्थापित है कि साक्षियों की संख्या नहीं वरन साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। यह पुनः उल्लेखनीय होगा कि उपरोक्त विश्लेषण से

स्पष्ट है कि प्रकरण में परिवादी द्वारा अपीलार्थी को धनराशि दिये जाने का तथ्य स्थापित होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में इस न्यायालय के मत में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया उपरोक्त आधार सन्धार्य नही है।

प्रकरण में प्रस्तुत की गयी अपील में यह भी आधार लिया गया है कि चेक की मांग को लेकर प्रेषित की गयी तथाकथित नोटिस को उचित प्रकार से साबित नही कराया गया है तथा इस सम्बन्ध में डाक विभाग के किसी कर्मचारी का साक्ष्य भी नही कराया गया है।

उपरोक्त आधार के सन्दर्भ में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी/दोषसिद्ध ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–251 द.प्र.सं. में इस आशय का कथन किया गया है कि उसे कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ। इस प्रक्रम पर यह विशेषतया उल्लेखनीय होगा कि दोषसिद्ध द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 द.प्र.सं. में परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजे जाने के बाद भी चेक की धनराशि का भुगतान न करने के सापेक्ष पूछे गये प्रश्न संख्या–1 के उत्तर में नोटिस प्राप्त न होने के सम्बन्ध में कोई कथन नही किया गया है। उपरोक्त अपीलार्थी/दोषसिद्ध ने अपनी मुख्य परीक्षा तथा उसके साक्षीगण ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में प्रकरण में नोटिस प्राप्त न होने के सन्दर्भ में कोई कथन नही किया है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी/दोषसिद्ध ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ संख्या–5 पर इस आशय का कथन किया गया है कि उसे इस मुकदमे के बाबत नोटिस प्राप्त नही हुआ है, खाली लिफाफा प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त कथन चेक की धनराशि से सम्बन्धित नोटिस के सापेक्ष नही है, वरन प्रकरण में प्रस्तुत किये गये मुकदमे के नोटिस के सापेक्ष है। यदि यह मान भी लिया जाए कि अपीलार्थी/दोषसिद्ध की प्रतिपरीक्षा का उपरोक्त अंश चेक की धनराशि की मांग नोटिस से सम्बन्धित है, तो उस दशा में भी यह स्वाभाविक था कि अपीलार्थी/दोषसिद्ध अपने बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा–251 द.प्र.सं. में खाली लिफाफा प्राप्त होने का कथन करता एवं अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 द.प्र.सं. में कोई कथन करता। यह भी विशेषतया उल्लेखनीय होगा कि उपरोक्त लिफाफा यदि बिना किसी प्रपत्र के था, तो अपीलार्थी/दोषसिद्ध द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि उसे कैसे ज्ञान हुआ कि उपरोक्त खाली लिफाफा इस मुकदमे से सम्बन्धित प्रश्नगत चेक से सम्बन्धित है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी/दोषसिद्ध द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में अपने मामले में सुधार करते हुये उपरोक्त आशय का कथन किया गया है। इस प्रक्रम पर यह भी उल्लेखनीय है कि योग्य विचारण न्यायालय द्वारा इस सन्दर्भ में प्रकरण के तथ्य एवं साक्ष्य का विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया गया है, जिसके पुनरावृत्ति की आवश्यकता नही

है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में इस न्यायालय के मत में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया उपरोक्त आधार सन्धार्य नही है।

योग्य विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय में परिवादी व दोषसिद्ध द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य का पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में विस्तृत विश्लेषण किया गया है। योग्य विचारण न्यायालय द्वारा धारा—138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के सापेक्ष प्रकरण में चेक के किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिये जारी किये जाने, चेक के अनादृत होने, चेक के अनादरण की सूचना प्राप्त होने पर परिवादी द्वारा विहित समय के अन्दर चेक की धनराशि की मांग करने सम्बन्धी नोटिस प्रेषित करने, विहित समय के अन्दर उपरोक्त धनराशि का भुगतान न किये जाने सम्बन्धी अवयवों के सन्दर्भ में प्रकरण के तथ्य एवं साक्ष्य का विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया गया है, जिसके पुनरावृत्ति की आवश्यकता नही है।

प्रकरण में प्रस्तुत की गयी अपील में यह भी आधार लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो सजा दी गयी है वह काफी ज्यादा है और विधिनुसार नही है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि योग्य विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में चेक की धनराशि 1,50,000 / —रूपये पर 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की गणना करते हुये चार वर्ष तक परिवाद के प्रचालन के आधार पर कुल 24,000 / —रूपये ब्याज को संयोजित करते हुये अपीलार्थी / दोषसिद्ध को 1,74,000 / —रूपये के अर्थदण्ड तथा छः माह के कारावास से दण्डित किये जाने का दण्डादेश पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रश्नगत चेक दिनांक 15.02.2020 की तिथि का था एवं प्रकरण में निर्णय दिनांक 25.07.2025 को लगभग साढ़े पांच वर्ष बाद निर्णय पारित किया गया है। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट किये जाने की दशा में 4 प्रतिशत से अधिक के ही ब्याज की दर विगत कई वर्षो से प्रचलित है। यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी को परिवाद प्रस्तुत करने एवं उसके प्रचालन में अपने विद्वान अधिवक्ता की सहायता लेने में भी धनराशि खर्च करनी पड़ी होगी, एवं इतने वर्षो तक वाद के प्रचालन के कारण परिवादी को सम्यक रूप से मानसिक एवं आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ी होगी। उपरोक्त परिस्थिति में इस न्यायालय के मत में योग्य विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय / दण्डादेश में अधिरोपित किया गया अर्थदण्ड एवं दिये गये कारावास की अवधि न्यायानुमत है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई युक्ति युक्त आधार नही है।

उपरोक्त समस्त विवेचना के आलोक में यह स्पष्ट हो जाता है कि दोषसिद्ध द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील में वर्णित आधार स्थापित नही होते हैं तथा यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण के परिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया मामला उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक

व प्रलेखीय साक्ष्य से युक्ति युक्त संदेह से परे स्थापित होता है। उल्लेखनीय है कि योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय में इसी आशय का मत व्यक्त करते हुये दोषसिद्धि का आदेश पारित किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्य के अनुकूल है तथा उसमें कोई विधिक त्रुटि नही है।

उपरोक्त समस्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रस्तुत की गयी अपील में वर्णित आधार स्थापित नही होते हैं। यह भी स्पष्ट है कि योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्य के अनुक्रम में है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नही है।

उपरोक्त आधार पर इस न्यायालय के मत में प्रकरण में प्रस्तुत की गयी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रकरण में प्रस्तुत की गयी अपील खारिज की जाती हैं। परिवाद संख्या 2332/2020 चन्द्रवीर सिंह बनाम गजेन्द्र सिंह, अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, थाना एत्मादपुर, जिला आगरा के प्रकरण में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 25.07.2025 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति अपीलार्थी/दोष सिद्ध को निःशुल्क प्राप्त करायी जाए।

निर्णय की प्रति के साथ आहूत पत्रावली विचारण न्यायालय को प्रकरण में यथा अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

अपीलार्थी/दोषसिद्ध अन्दर 10 दिवस विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करेगा।

ह0/–
(विराट कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–05,आगरा।
J.O. Code-UP01728

दिनांकः–06.07.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(विराट कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–05,आगरा।
J.O. Code-UP01728

दिनांकः–06.07.2026